

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 39 /2026 (Bank Case)

GCMS NO. - 2026/64

पंजाब नेशनल बैंक शाखा: अनन्तपुरा, कोटा जयें प्राधिकृत अधिकारी अच्युत बनर्जी।  
- प्रार्थी

## बनाम

- श्री गुरुगोविन्द सिंह पुत्र श्री राम सिंह —(ऋणी / बंधककर्ता)  
पता— मकान नं० 696, खाल की तरफ रंगबाडी, आनंदपुरा, फूटा तालाब, कोटा  
(राज.) 324005
- श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री गुरुगोविन्द सिंह  
पता— मकान नं० 696, खाल की तरफ रंगबाडी, आनंदपुरा, फूटा तालाब, कोटा  
(राज.) 324005
- श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरुगोविन्द सिंह  
पता— मकान नं० 696, खाल की तरफ रंगबाडी, आनंदपुरा, फूटा तालाब, कोटा  
(राज.) 324005

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002



उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश


दिनांक: 18.03.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा: अनन्तपुरा, कोटा है, से अप्रार्थी ने दिनांक 16.04.2013 को ऋण रुपये 8,00,000/- (अक्षरे: रुपये आठ लाख मात्र) एवं दिनांक 30.06.2016 को ऋण रुपये 20,00,000/- (अक्षरे: रुपये बीस लाख मात्र) इस प्रकार कुल ऋण रुपये 28,00,000/- (अक्षरे: रुपये अठ्ठाईस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान सर्वे नं० 60, रंगबाडी, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1212.11 वर्ग फीट है। जोकि श्री गुरुगोविन्द सिंह पंवार एवं श्रीमती संतोष कंवर के नाम से है। जिसकी चर्तु सीमाएं— पूर्व में: मकान कन्हैयालाल, पश्चिम में: जगन्नाथ का मकान, उत्तर में:— रोड, दक्षिण में:— रोड, है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 06.11.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाते में रुपये 24,78,567.81/- (अक्षरे चोईस लाख अठहत्तर हजार पाच सौ सडषठ रुपये व इक्यासी पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2025 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 14.11.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसाके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अभिनिगम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 14.11.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक करी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसाके द्वारा नियुक्त ब्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहरस पर मनन किया एवं पन्नावली में उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अभिनिगम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधक अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान सर्वे नं० 80, रंगबाड़ी, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1212.11 वर्ग फीट है। जोकि श्री गुरुगोविन्द सिंह पंवार एवं श्रीमती संतोष कंवर के नाम से है। जिसकी चर्तु सीमाएँ— पूर्व में: मकान कन्हैयालाल, पश्चिम में:— जगन्नाथ का मकान, उत्तर में:— रोड, दक्षिण में:— रोड, है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हरब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।  
आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को सुनाया गया।



  
(डीयूब समारियां)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)